उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ— 226001

पत्र सं0: 975 /सी0पी0एफ0, ट्रस्ट/ दिनांकः— 24.09.2016

"ई—मेल"

समस्त अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता,
डिस्काम मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, केस्को,
ट्रांस्को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषयः—प्रोबेशन पर ट्रेनी कार्मिकों/अधिकारियों को अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

संज्ञान में लाया गया है कि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अंशदायी भविष्य निधि नियम, 2004 में प्राविधानित नियमों के विपरीत, प्रोबेशन पर ट्रेनी कार्मिकों/अधिकारियों का, अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित करने हेतु, संस्तुती के साथ प्रकरण प्रेषित किये गये है। अंशदायी भविष्य निधि नियम, 2004 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित हैं कि "Employee" means any person employed on a whole time basis directly on wages in any kind of work, manual or otherwise, in connection with the work of the Corporation (but excludes a person employed on deputation or a person appointed as apprentice under the Apprentice Act 1961 and or a Trainee who is on probation.)

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे परिवीक्षा पर ट्रेनी कार्मिक को खाता सं0 आवंटित किया जाना नियम के विरूद्व होगा। अतएव नये प्रकरण भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्मिक अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य बनने के लिये अर्ह/योग्य है अथवा नहीं। इस तरह के पूर्व में प्रेषित प्रकरणों मे भी निगम (मु0) लखनऊ स्तर से निर्णय होने तक खाता संख्या आवंटित किया जाना संभव नही हैं।

ट्रस्ट स्तर के अनावश्यक पत्र व्यवहार/विलम्ब से बचने के लिये यह आवश्यक होगा कि अंशदायी भविष्य निधि प्रकरण भेजने से पूर्व जाँच कर लें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हो, आवेदन पत्र एवं नामाकन प्रपत्र पर सम्बन्धित का फोटो लगा हो एवं आवश्यक अभिलेख नियुक्ति पत्र, योगदान आख्या, कार्यभार प्रमाणक, नियुक्ति नियमितीकरण आदेश, जन्म तिथि की पुष्टि के लिये प्रमाण पत्र आदि संलग्न हो। साथ ही आवेदन प्रपत्र 2 प्रतियों में आवरण पत्र के साथ भेजा जाये। खाता संख्या आवंटित किये जाने की सूचना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। अंशदायी भविष्य निधि खाते के आवंटन में जानकारी या कठिनाई के सम्बन्ध में **"श्री तरूण वोहरा, लेखाधिकारी"** से सम्पर्क करें।

(पी0 के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव

पत्र सं0 : 975/सी0पी0एफ0, ट्रस्ट/ तद्दिनांकः— 24.09.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी) उ0प्र0 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (जल विद्युत) उ0प्र0 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ को उनके स्तर से निर्गत नियुक्ति पत्र के सन्दर्भ में।
3. अपर सचिव—प्रथम, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ, को अधिकारियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में।
4. अपर सचिव—तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ, करे विषय में आवश्यक निर्देश निर्गत कराए जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता,समस्त डिस्काम, ट्रांस्को,केस्को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), समस्त डिस्काम, ट्रांस्को,केस्को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, समस्त डिस्काम, ट्रांस्को, केस्को, सामग्री प्रबन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अधिशासी अभियन्ता (वि0), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(पी0 के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव